न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क-212/09</u> <u>संस्थित दिनांक- 06.05.2009</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- बलराम सिंह पुत्र हरनाम सिंह यादव उम्र 34 साल निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी
- 2. सौरम सिंह पुत्र भबानी सिंह यादव उम्र 33 साल निवासी ग्राम विकमपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 20.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 379/34 के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.02.2009 को समय 12:30 बजे ग्राम विक्रमपुर में फरियादी हरीराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य के चार कट्टे गेंहू के कीमत करीब 600/— रूपये को चोरी करने का आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी के चार बोरी गेंहू चोरी किये।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 09.02.2009 फरियादी शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रमपुर पर तुलावटी का कार्य करता है, दुकान के ही सैल्समेन इमरान खांन फतेहाबाद के साथ दिनांक 09.02.2009 को फरियादी टैक्टर टॉली किराये से शा0 उ0 मू0 दुकान का गेंहू भरकर चंदेरी गोदाम से विक्रमपुर ले गया था, लगभग 12:30 बजे टैक्टर टॉली दुकान के सामने खड़ी कर दी, उसके में से चार बोरी कटटे गेंहू के ग्राम विक्रमपुर के सौरभ यादव, बलराम यादव तथा प्रमोद यादव चोरी कर के ले गये, गेंहू चोरी करते हुये ले जाते हुये गोपी कुशवाह तथा बलवंत यादव ने देखा, उक्त सभी कटटों पर ए 0एस0आई0 मार्क छपा है। घटना दिनांक को सैल्समेन इमरान के न होने से फरियादी हरीराम द्वारा दिनांक 11.02.2009 को पुलिस थाना चंदेरी में

अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक— 62/09 अंतर्गत धारा— 379 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.02.2009 को समय 12:30 बजे ग्राम विक्रमपुर में फरियादी हरीराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य के चार कट्टे गेंहू के कीमत करीब 600/— रूपये को चोरी करने का आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी के चार बोरी गेंहू चोरी किये ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

05— फरियादी हरीराम (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों में घटना के संबंध में कहना है कि घटना उसके कथन लेने के दिनांक से करीब दो साल पूर्व की है। उसकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान विक्रमपुर से दिन में करीब 12:00—01:00 बजे आरोपीगण उसके चार बोरी गेंहू जबरदस्ती ले गये थे और उसे मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उसने दुकान बंद कर थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 लेखबद्ध कराई थीं, जिस पर फरियादी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। फरियादी हरीराम (अ०सा०—1) ने घटना के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि वह एफ०सी०आई० गोदाम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान विक्रमपुर पर ट्रैक्टर—टॉली से गये थे तथा मौके पर वह कुल चार लोग थे, जिनमें गोपीलाल (अ०सा०—2), सैल्समेन इमरान खांन

(अ०सा0-8) सहित फौत हो चुके साक्षी लखन साथ में थे।

- 06— फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि साक्षी गोपीलाल कुशवाह उसके साथ काम करता है तथा जिस ट्रैक्टर—ट्रॉली से वह गेंहू लेकर गये थे, फौत हो चुका साक्षी लखन उसका डायवर था तथा इमरान खांन (अ०सा0—8) दुकान में सैल्समैन था। फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—4 में यह कहता है कि इमरान (अ०सा0—8) मौके पर घटना के बाद पहुचा था। अतः फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार आरोपीगण ने उसकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्थिति विक्मपुर से चार बोरी गेंहू की चोरी की घटना साक्षी गोपीलाल कुशवाह (अ०सा0—2) लखन व उसके सामने की थी और चोरी करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी और जब आरोपीगण ने यह कृत्य किया तो इमरान (अ०सा0—8) मौके पर नहीं था।
- 07— गोपीलाल (अ०सा०—2) ने भी फरियादी हरीराम (अ०सा०—1) के कथनों का समर्थन करते हुये अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह हरीराम के साथ विक्रमपुर कंट्रोल का गेंहू बांटने के लिये गया था तथा जब वह लोग गोदाम में गेंहू खाली करा रहे थे, तो आरोपीगण ने जबरदस्ती चार बोरी ट्रैक्टर से उठा ली थी। इस साक्षी ने भी अपने कथनो में इस बात की पुष्टि की है कि उस समय टैक्टर और टॉली का डायवर लखन भी उनके साथ था तथा इस साक्षी का कहना है कि सैल्समैन इमरान खान (अ०सा०—8) भी उसने साथ गया था। गोपीलाल (अ०सा०—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने ट्रॉली से बोरी निकालकर उन्हें धमकी दी थी कि ''तुम लोग भाग जाओं नहीं तो हम तुम्हें मारेगें''
- 08—अतः फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के द्वारा न्यायलय में दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार आरोपीगण ने ग्राम विक्रमपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर फरियादी का चार बोरी गेंहू जबरदस्ती उठाकर चोरी की थीं और साथ में उन्हें धमकी भी दी थीं, परन्तु फरियादी सिहत गोपीलाल (अ०सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटना व इन साक्षियों के द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों में बताई घटना से मेल नहीं खाती है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में ऐसी कोई

घटना का उल्लेख नही है जिसमें अभियुक्तगण ने जबरन शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चार बोरी गेंहू को उठाकर फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अतः ऐसे में साक्षिया के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन विरोधाभासी व कपोलकल्पित होना प्रतीत होते है।

- 09— फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में आपस में ही विरोधाभास की स्थिति है। अभियोजन कहानी के अनुसार चोरी की घटना आरोपीगण को कारित करते हुये मात्र फरियादी के अनुसार गोपीलाल (अ०सा0—2) व ट्रैक्टर ट्रॉली के डायवर लखन ने देखा था, जबिक न्यायालय में दिये गये कथनों में फरियादी स्वयं को ही घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुये आरोपीगण के द्वारा धमकी दिया जाना बताता है। फरियादी के अनुसार एफ सी आई गोदाम से वह लखन की टैक्टर टॉली से गोपीलाल (अ०सा0—2) व लखन के साथ विक्रमपुर गया था तथा घटना के समय इमरान खांन (अ०सा0—8) सैल्समैन मौके पर नहीं था, परन्तु इन कथनों के विपरीत गोपीलाल (अ०सा0—2) अपने मुख्यपरीक्षण में तो हरीराम (अ०सा0—1) के साथ घटना के समय विक्रमपुर गेंहू बांटने जाने के संबंध में कथन देता हैं, परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि वह मोटरसाईकिल से इमरान के साथ विक्रमपुर गया था तथा प्रतिपरीक्षण में किण्डका 5 में इस साक्षी का कहना है कि इमरान मौके पर मौजूद था, बाद में नहीं आया था।
- 10— अतः हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के कथनों में घटना स्थल पर इमरान (अ०सा0—8) की उपस्थिति तथा उसके सामने वास्तव में कोई घटना घटित हुई या नही। इस संबंध में दिये गये कथनों में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है। गोपीलाल (अ०सा0—2) स्वयं भी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। गोपीलाल (अ०सा0—2) एक ओर अपने मुख्यपरीक्षण में हरीराम के साथ गेंहू बांटने के लिये विकमपुर जाना बताता है, वहीं प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी पलटते हुयें यह कहता है कि वह मोटरसाईकिल से इमरान (अ०सा0—8) के साथ गया था। यदि गोपीलाल (अ०सा0—2) वास्तव में अभियोजन कहानी के अनुसार हरीराम (अ०सा0—1) के साथ चंदेरी के गोदाम से विक्रमपुर गया होता तो निश्चित रूप से वह यह बता सकता था कि घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली में शासकीय उचित मूल्य की दुकान विक्रमपुर पर गेंहू कहा से आया था।
- 11— गोपीलाल (अ0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि ट्रॉली कहा से भरकर आई थीं उसे पता नही हैं, जबकि फरियादी के अनुसार गोपीलाल

(5)

(अ०सा0—2) ट्रैक्टर टॉली में चदेरी में उसके साथ गया था, वहीं फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) इमरान खां (अ०सा0—8) को घटना के बाद मौके पर आना बताता है। गोपीलाल (अ०सा0—2) का कहना है कि वह स्वयं मोटरसाईकिल से इमरान के साथ विक्रमपुर गया था तथा इस बात का खण्डन किया है कि इमरान घटना के बाद आया था। हरीराम (अ०सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में कहना है कि आरोपीगण गेंहू उसके सामने दुकान से उठाकर ले गये थे, जबिक गोपीलाल (अ०सा0—2) अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहता है कि आरोपीगण ट्रैक्टर से चार बोरी उठाकर ले गये थे। गोपीलाल (अ०सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कहना हैकि आरोपीगण ने एक बोरी ट्रॉली से उठाई थी, और तीन बोरिया दुकान से उठाई थी। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार चारों बोरियों की चोरी ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई है।

- 12— अतः हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के कथनों में उत्पन्न हुआ उपरोक्त विरोधाभास गंभीर और तात्विक स्वरूप का है क्योंकि यदि वास्तव में गोपीलाल (अ०सा0—2) हरीराम (अ०सा0—1) के साथ गया होता तो निश्चित रूप से उसे यह जानकारी होती कि हरीराम घटना दिनांक को गेहू कहा से लेकर विक्रमपुर गया था और मौके पर कौन कौन उस समय उपस्थित था तथा आरोपीगण ने वास्तव में बोरियों की चोरी दुकान में से की थीं या टैक्टर टॉली में की थीं।
- 13— हरीराम (अ०सा0—1) के द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपार्ट प्रदर्श—पी—1 के अनुसार आरोपीगण को चोरी करते हुये गोपीलाल (अ०सा0—2) व लखन ने देखा था परन्तु हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) आरोपीगण के द्वारा जबरदस्ती गेंहू ले जाने के संबंध में न्यायालय में कथन देते हैं, जिससे स्पष्ट है कि हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के अनुसार जब आरोपीगण गेंहू ले जा रहे थें तो उन्होंने आरोपीगण को गेंहू ले जाते हुये देखा था तथा रोकने पर आरोपीगण ने धमकी भी दी थीं। यदि वास्तविकता में उक्त घटना सत्य होती तो निश्चित रूप से फरियादी हरीराम (अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) दोनों ही साक्षी यह बताने की स्थिति में होते कि आरोपीगण जबरदस्ती गेंहू दुकान से किस साधन से ले गये थे। क्योंकि इन साक्षियों के अनुसार उक्त घटना चोरी छुपे नही हुई थी बल्कि प्रत्यक्ष आरोपीगण के द्वारा दी गई धमकी के साथ हुई थी।
- 14— उपरोक्त संबंध में हरीराम (अ0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि

आरोपीगण के अलावा एक प्रमोद नाम का व्यक्ति और था, जो आरोपीगण के साथ था जबिक गोपीलाल (अ०सा0—2) का अपने कथनों में कहना है कि उसने दो आरोपीगण के आलावा अन्य किसी को चोरी करते हुये नही देखा तथा यह साक्षी अन्य को न देखने का कारण भीड का होना बताता है। फरियादी मौके से चार बोरी गेंहू जिनका वजन 50 से 55 किलो वह स्वयं बताता हैं, आरोपीगण के द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाना बताता हैं, यदि वास्तविकता में गोपीलाल (अ०सा0—2) भी मौके पर होता तो दोनों के कथनों मे इस संबंध में सामानता होती कि कितने व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित की गई तथा गेंहू मौके से आरोपीगण किस प्रकार ले गये, क्योंकि चार बोरी गेंहू एक साथ दो व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी साधन के उठाकर जबरदस्ती लेकर जाना किसी भी प्रकार से संभव नही हैं और यदि चार बोरी गेंहू जबरदस्ती उठाई जाती, तो निश्चित रूप से गोपीलाल (अ०सा0—2) भले ही कितनी भी भीड यह बताने की स्थिति में होता कि कितने लोगो के द्वारा घटना कारित की गई।

- 15— हरीराम (अ0सा0—1) जहां अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि आरोपीगण ट्रैक्टर लेकर आये थे और ट्रैक्टर से ही बोरियां लेकर चले गये थे। वहीं गोपीलाल (अ0सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह कहना हे कि उसे जानकारी नही है कि आरोपीगण टैक्टर लेकर आये थे या नहीं। एक व्यक्ति जिसने स्वयं आरोपीगण को लगभग 50 किलो के चार कट्टे मौके से ले जाते हुये देखा हो वह यदि यह नहीं बता सकता है कि उक्त चार बोरी गेंहू किस प्रकार आरोपीगण मौके से ले गये थे, तो वास्तविकता में घटना उसके सामने हुई थी या वह घटना स्थल पर उपस्थित था, इस संबंध में उस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन या उसके समर्थन में अन्य साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन लेषमात्र भी विश्वसनीय नहीं है।
- 16— फरियादी हरीराम (अ०सा०—1) के द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 09.02.2009 की है तथा घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद दिनांक 11.02.2009 को लेखबद्ध कराई गई, यदि आरोपीगण धमकी देकर जबरदस्ती गेंहू ले गये थे तब भी मात्र घटना स्थल से 12 किलोमीटर दूर थाने पर तत्काल जाकर रिपोर्ट दर्ज न कराने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 के अनुसार रिपोर्ट दो दिन बाद लेखबद्ध कराने का कारण फरियादी ने सैल्समैन इमरान (अ०सा0—8) का न होना बताया हैं। उक्त कारण किसी भी दृष्टि से संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि फरियादी के साथ मौके पर चार लोग थे तो वह किसी के भी साथ थाने पर

रिपोर्ट करने जा सकता था, परन्तु फरियादी के द्वारा ऐसा न करके दो दिन बाद रिपोर्ट की गई। हरीराम (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह भी स्वीकार नही किया है कि रिपोर्ट उसके द्वारा विलंब से की गई और न ही विलंब से रिपोर्ट करने का कारण भी स्पष्ट किया।

- 17— हरीराम (अ0सा0—1) के द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक ओर वह इमरान की अनुपस्थिति के कारण देरी से रिपोर्ट लेख कराने का कारण बताता है। जबिक वह अपने कथनों में यह कहता है कि चोरी के तुरन्त बाद वह दुकान बंद करके प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट थाने पर करने गया था तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में इस साक्षी का प्रदर्श—पी—1 के विपरीत यह कहना है कि उसके साथ इमरान (अ0सा0—8) रिपोर्ट करने गया था, अतः इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट विलंब से लेखबद्ध कराने का कोई सद्भाविक कारण फरियादी के पास नहीं है। प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट दो दिन के विलंब से लेख कराया जाना एवं रिपोर्ट देरी लेख कराये जाने का कोई कारण न होना भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बनाता है।
- 18— फरियादी हरीराम (अ०सा०—1) घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होते हुये भी स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताता है। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। गोपीलाल (अ०सा०—2) अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, परन्तु इस साक्षी के न्यायालय में दिये गये कथनों में एवं हरीराम (अ०सा०—1) के कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति हैं, वहीं यह साक्षी स्वयं के कथनों पर भी स्थिर नहीं है। अतः इस साक्षी के कथनों से इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति या उसके सामने चोरी की घटना घटित होने की कहानी ही लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।
- 19— इमरान खानं (अ0सा0—8) जो कि फरियादी के द्वारा उसकी दुकान में सैल्समैन था, ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। तथा इस साक्षी का यह कहना है कि उसके सामने कोई घटना नही हुई। अश्कार अहमद (अ0सा0—3) का अपने कथनों में कहना है कि जिस ट्रैक्टर टॉली से गेंहू चोरी हुये थें, वो टैक्टर टॉली उसकी थी तथा उसने आरोपीगण को चोरी करते हुये देखा था, परन्तु अभियोजन कहानी एवं फरियादी हरीराम

(अ०सा0—1) व गोपीलाल (अ०सा0—2) के कथनों से इस साक्षी की घटना स्थल पर प्रमाणित नहीं हैं, वहीं मुख्यपरीक्षण चोरी की घटना स्वयं देखे जाने के संबंध में कथन देने के बाद यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उसके आरोपीगण को चारी करते हुये नहीं देखा उसे तो हरीराम (अ०सा0—1) व इमरान (अ०सा0—8) ने घटना के बारे में बताया था। अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 20— प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक भगवान सिंह (अ०सा0—9) के द्वारा की गई हैं। इस साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसने आरोपी बलराम व सौरम सिंह को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श-पी-8 व 9 बनाये थे तथा बलराम व सौरम का मैमोरेण्डम कथन साक्षीगण के समक्ष लिये थे जो कमशः प्रदर्श-पी-4 व 5 हैं, जिन पर इन साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना रवीकार किये हैं तथा उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त बलराम व सौरम से साक्षियों से समक्ष गेंहू की जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-6 व 7 तैयार किया जाना बताया है, जिस पर भी इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन यांत्रिकी तौर पर दिये गये हैं जिससे विवेचना के दौरान तैयार किये गये प्रपत्र प्रपी 4 लगायत 10 में उल्लेखित कार्यवाही साबित नही होती है। प्रदर्श-पी-4 लगायत 10 के विवेचना के दौरान तैयार किये गये दस्तावेज अपने आप में उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण नही है उसे विवेचक को अपने मौखिक साक्ष्य से साबित करना था। इस संबंध में न्यायालय को अभिमत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत <u>दशरथ बनाम् मध्यप्रदेश</u> राज्य I.L.R. 2008 M.P. 360, स्वरूप सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1996 (1) M.P.W.N 84 में प्रतिपादित विधि पर आधारित हैं।
- 21— वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तारी मैमोरेण्डम व जप्ती के साक्षी कुवरलाल (अ०सा0—5) व रणवीर सिंह (अ०सा0—11) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में उपरोक्त कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये करावाये गये हैं तथा पंचनामा प्रदर्श—पी—10 के साक्षी कमलेश यादव (अ०सा0—7) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं जिसमें इन सााक्षियों ने प्रदर्श—पी—4 लगायत 10 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं परन्तु इन साक्षियों का प्रकरण में किये गये अनुसंधान के विपरीत यह कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि दस्तावेजों में क्या लिखा है तथा उनके सामने अभियुक्तगण के संबंध में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं कि बल्कि चोकी पर उनके हस्ताक्षर करा लिये थें। इन

साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण अभियोजन के द्वारा किया गया, परन्तु इन साक्षियों के कथनों से अभिरयोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता है।

- 22— प्रकरण में अभियुक्तगण के मैमोरेण्डम एवं जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में अभिलेख पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक भगवान सिंह (अ०सा0-9) की साक्ष्य उपलब्ध हैं जिसमें इस साक्षी ने मैमोरेण्डम, जप्ती व गिरफतारी पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं परन्त उक्त कार्यवाही कब और कहां व किस स्थान पर की गई एवं किन साक्षियों के समक्ष की गई इस सबंध में इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन मौन हैं वही प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि उसे जप्ती व गिरफतारी के गवाहों के नाम याद नहीं हैं। निश्चित रूप से समय के साथ नाम न आना स्वाभाविक है परन्तु अभियुक्तगण को मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-4 व 5 महत्वपूर्ण हैं उक्त मैमोरेण्डम किस स्थान पर कितने बजे लिया गया, यह साक्षी ने स्पष्ट नही किया, वहीं मैमोरेण्डम में अभियुक्तगण ने क्या बताया था और उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर किस स्थान से कितना चोरी का सामान जप्त किया इस संबंध में भी इस साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं है अतः मात्र दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान करने से प्रदर्श-पी-5 लगायत 9 में उल्लेखित कार्यवाही साबित नहीं होती है। जिसके आधार पर यह साबित नहीं होता है कि वास्तव में फरियादी के अधिपत्य का गेंहू अभियुक्तगण की निशानदेही पर अभियुक्तगण के अधिपत्य से बरामद हुआ। प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही करने वाले व्यक्ति सरपंच रामसिंह (अ०सां०-६) ने भी अपने कथनों में प्रदर्श-पी-3 की शिनाख्ती मैमो पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये है परन्त्र शिनाख्ती की कार्यवाही फरियादी से कराई जाने से ही इन्कार किया है।
- 23— प्रकरण में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का चार बोरी गेहूं चोरी करने का आरोप अभियुक्तगण पर है परन्तु वास्तविकता में चोरी की कोई घटना कारित हुई इस संबंध में फरियादी हरीराम सिहत अभियोजन साक्षियों के कथन लेषमात्र भी विश्वसनीय नही है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चार बोरी गेंहू चोरी होकर स्टॉक से उक्त गेंहू कम हुआ इस आशय का कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नही है। फरियादी के द्वारा गेंहू चोरी की प्रविष्टि अपने द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेख में घटना दिनांक को की थी ऐसे कोई कथन फरियादी ने न तो न्यायालय में दिये है और न ही इसका कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत है तथा प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी

जंगबहादुर (अ०सा0—4) व भगवान सिंह (अ०सा0—9) ने इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित नहीं की वास्तव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के स्टॉक से अकारण चार बोरी गेंहू कम हुये भी थे अथवा नहीं। शिवमंगल सिंह सेंगर (अ०सा0—10) के द्वारा प्रदर्श—पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई परन्तु उक्त रिपोर्ट दो दिन बिलंव से लेखबद्ध कराने का कोई कारण रिपोर्ट में नहीं दर्शाया। मात्र रिपोर्ट के दर्ज हो जाने से अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

- 24— अभिलेख पर आई साक्ष्य से जहां फरियादी के द्वारा बताई गई चार बोरी गेंहू की घटना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है वहीं प्रकरण में किये गये अनुसंधान एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी भगवान सिंह (अ०सा०–९) व जप्ती व गिरफतारी व मैमोरेण्डम के साक्षी कंवरलाल (अ०सा०-5) व रणवीर (अ०सा0-11) के कथनों से यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण के अधिपत्य से उनकी निशानदेही पर फरियादी का स्वामित्व व अधिपत्य का गेंहू बरामद हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से फरियादी हरीराम (अ0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि दुकान के विवाद होने से फरियादी ने यह झूठी रिपोर्ट की है। वहीं गोपीलाल (अंग्सा0-2) के प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई हे कि फरियादी सस्ती दरों पर सेठों को बेच रहा था जिसे आरोपीगण मना कर रहे थे तो फरियादी ने उनकी झूठी रिपार्ट कर दी। स्वयं फरियादी अपने प्रतिपरीक्षण में यह बात स्वीकार करता है कि आरोपीगण उससे गेंहू मांग रहे थे जो उसने देने से मना कर दिया। अतः फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के आधार पर बचावपक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है कि दुकान पर हुये विवाद के बाद फरियादी ने सोच समझ कर दो दिन बाद थाने पर रिपोर्ट की थीं, जिसमें आरोपीगण को चोरी के प्रकरण में झटा फंसाने के पर्याप्त आधार बचाव पक्ष के द्वारा स्थापित किये गये हैं।
- 25— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित न नहीं होता है कि दिनांक 09.02.2009 को 12:30 बजे ग्राम विक्रमपुर में अभियुक्तगण ने फरियादी हरीराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त चार कट्टे गेंहू जिनकी कीमत करीब 600/— रूपये को चोरी करने का आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी के चार बोरी गेंहू चोरी किये।

26— फलतः **अभियुक्तगण बलराम सिंह पुत्र हरनाम सिंह यादव एवं सौरम** सिंह पुत्र भबानी सिंह यादव के विरूद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 379/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 379/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सुपुर्दगी पर है, ऐसा कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं हैं। जप्ती की अवधि को देखते हुये जप्त शुदा गेंहू यदि जमा हो, तो मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)